

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

दि. प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
68/21	88, 89, 91, 92A, 188 RTA	रूपारेल	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
निरंजन	बनाम	हरिसिंह	
वकील :- श्री अजय कुमार श्रीवास्तव		आदेश पत्रक	वकील :-

2021/146

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

<p>25⁰⁸/₂₁</p>	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92अ, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04-10-2021 को पेश हो।</p> <p>प्रशासन गाँवों के रांग अभियान-2021</p>	
<p>12¹¹/₂₁</p>	<p>पत्रावली प्रशासन गाँवों के रांग अभियान 2021 में प्रस्तुत पर पेश हुई। पक्षकार वादी निरंजन उपस्थित। वादी उक्त दोष के खेती से बचिस ले लिखा है। उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं पाएला है। प्रमाण में कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रॉप की जाती है पत्रावली पेशल शुभर शेकर कार्यालय दफ्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी प्रशासन गाँवों के रांग अभियान-2021</p>	<p>श्री अजय कुमार श्रीवास्तव</p> <p>निरंजन</p>